भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2630
दिनांक 18 दिसम्बर, 2024/ 27 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

फोरेंसिक प्रयोगशालाओं द्वारा डिएनए और विसरा रिपोर्ट देने में लगने वाला समय

2630 श्री शक्तिसिंह गोहिलः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) फोरेंसिक प्रयोगशालाओं द्वारा आपराधिक मामलो में डीएनए और विसरा रिपोर्ट देने में औसतन कितना समय लगता है;

(ख) देश भर में फोरेंसिक रिपोर्ट देने में विलंब के कारण कितने मामले लंबित हैं;

(ग) सरकार ने फोरेंसिक विश्लेषण में तेजी लाने और प्रयोगशालाओं में लंबित रिपोर्टों के मामलों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) क्या इस मुद्दे के समाधान के लिए फोरेंसिक प्रयोगशालाओं हेतु वित्तपोषण, स्टाफ अथवा प्रौद्योगिकीय क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क): डीएनए और विसरा रिपोर्ट देने में लगने वाला समय, अलग-अलग मामलों की जटिलता और साक्ष्यों की संख्या पर निर्भर करता है।

(ख) से (घ): "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, जांच, अपराध और अपराधियों के अभियोजन और संबंधित फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं सहित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास हैं। लंबित मामलों का डेटा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। किसी मामले का निपटारा करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जिम्मेदारी है, जो अन्य बातों के साथ-साथ कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि मामले की श्रेणी, शामिल तथ्यों की जटिलता और साक्ष्य की प्रकृति ।

फोरेंसिक विश्लेषण में तेजी लाने और प्रयोगशालाओं में लंबित मामलों को कम करने के लिए, गृह मंत्रालय ने देश में फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) भोपाल, गुवाहाटी और पुणे में तीन नई सीएफएसएल स्थापित की गई हैं और कोलकाता में मौजूदा सीएफएसएल का आधुनिकीकरण किया गया है।

(ii) फोरेंसिक के नए विषयों सहित सभी 7 केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में मशीनरी और उपकरणों का उन्नयन किया गया है।

(iii) चंडीगढ़ में स्थित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण और अनुसंधान एवं विकास सुविधा स्थापित की गई है।

(iv) डिजिटल धोखाधड़ी/साइबर फोरेंसिक के महत्वपूर्ण मामलों की जांच के लिए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद में एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (एनसीएफएल) की स्थापना की गई है। इसके अलावा, भारत सरकार ने 126.84 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ देश में 06 अतिरिक्त एनसीएफएल को सीएफएसएल चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, कामरूप, भोपाल और पुणे में स्थापित करने की मंजूरी दी है।

(v) देश में 117 फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (केंद्रीय और राज्य) को जोड़ने वाले ई-फोरेंसिक आईटी प्लेटफॉर्म को शुरू कर दिया गया है।

(vi) राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (राज्य एफएसएल) में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सभी परियोजनाओं (30) हेतु 245.29 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। अब तक 185.28 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(vii) फोरेंसिक विज्ञान में जनशक्ति के क्षमता निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जांच अधिकारियों, अभियोजकों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए डीएनए साक्ष्य के संग्रह, भंडारण और हैंडलिंग तथा यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 32,524 जांच अधिकारियों, अभियोजकों और चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। गृह मंत्रालय ने इस प्रशिक्षण के भाग के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 18020 यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट भी वितरित किए हैं।

(viii) इसके अलावा, वर्ष 2022 मे "फोरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण" के लिए योजना का 2080.5 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदन किया गया है। इस स्कीम के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं को विकसित करने, मशीनरी और उपकरणों का आधुनिकीकरण मोबाइल फोरेंसिक वैन सहित, तथा देश में फोरेंसिक विज्ञान हेतु शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करके इन प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायता उपलब्ध है। इस योजना में अब तक, 20 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए "राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण/उन्नयन" के घटक हेतु 200 करोड़ रुपए अनुमोदित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, इस योजना के तहत अब तक 433 मोबाइल फोरेंसिक वैन की खरीद के लिए 23 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(ix) देश के सभी हिस्सों में गुणवत्तापूर्ण और प्रशिक्षित फोरेंसिक जनशक्ति प्रदान करने के लिए वर्ष 2020 में संसद के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) की स्थापना की गई है। गांधीनगर (गुजरात) और दिल्ली में एनएफएसयू के प्रारंभिक परिसरों के अलावा, गोवा, अगरतला (त्रिपुरा), भोपाल (मध्य प्रदेश), धारवाड़ (कर्नाटक) और गुवाहाटी (असम) में एनएफएसयू के 05 अतिरिक्त ऑफ परिसरों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। ये अतिरिक्त परिसर स्थायी परिसरों के निर्माण तक वर्तमान में अस्थाई परिसरों से क्रियान्वित हैं। इसके अलावा, एनएफएसयू ने इम्फाल (मणिपुर) और पुणे (महाराष्ट्र) में प्रशिक्षण/कौशल अकादमियां भी स्थापित की हैं। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने दिनांक 19.06.2024 को "राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना" को मंजूरी दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2024-2025 से 2028-2029 तक कुल 1309.13 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ देश में एनएफएसयू के 09 अतिरिक्त परिसरों की स्थापना के लिए घटक शामिल है।

(x) फोरेंसिक जांच में गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

- एनएबीएल मानदंडों (आईएसओ 17025) के अनुसार प्रयोगशालाओं के प्रमाणन हेतु गुणवत्ता मैनुअल और फोरेंसिक विज्ञान के नौ विषयों में कार्य पद्धति मैनुअल।
- जांच अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के प्रयोजनार्थ यौन हमले के मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, रख-रखाव और उन्हें लाने-ले जाने हेतु ।
- फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना / स्तरोन्नयन के लिए उपकरण की मानक सूची।

****